



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 दिसम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 17, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 353/XXXVI(3)/2016/51(1)/2016

देहरादून, 08 दिसम्बर, 2016

### अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक, 2016” पर दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 35 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016  
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2016)

सं  
सु  
स्थ  
अ  
2-

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	
1	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	2
2	परिभाषाएँ	2-3
3	विश्वविद्यालय की स्थापना	3
4	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये शर्तें	3-4
5	विश्वविद्यालय का आरंभ	4
6	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	4
7	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	4-6
8	प्रवेश और मानक	6
9	विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा	6
10	आरक्षण	6
11	विश्वविद्यालय के अधिकारी	6-7
12	कुलाध्यक्ष	7
13	कुलाधिपति	7
14	कुलपति	7-8
15	प्रति-कुलपति	8
16	प्राचार्य	8
17	कुलसचिव	8
18	संकायों के संकायाध्यक्ष	9
19	वित्त अधिकारी	9
20	अन्य अधिकारी	9
21	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	9
22	कोर्ट	9
23	कार्य परिषद्	9
24	विद्या परिषद्	9-10
25	वित्त समिति	10
26	नियोजन बोर्ड	10
27	संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी	10
28	परिनियमों को बनाने की शक्ति	10-11



29	अध्यादेश बनाने की शक्ति	11-12
30	वार्षिक रिपोर्ट	12
31	वार्षिक लेखा	12-13
32	कर्मचारियों की सेवा	13
33	अपील करने का अधिकार	13
34	कल्याणकारी योजना	13
35	प्राधिकरण निगमों/निकायों के गठन के बारे में विवाद	13
36	समितियों का संविधान	14
37	रिक्तियों का भरा जाना	14
38	कार्यवाही की अविधिमान्यता	14
39	विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति	14
40	परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन	14
41	स्थायी विन्यास निधि	14
42	सामान्य निधि	14-15
43	विकास निधि	15
44	निधि का अनुरक्षण	15
45	वित्तीय शर्तें	15
46	शुल्क	15
47	सूचनाओं और अभिलेखों को मंगाने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ	15
48	विश्वविद्यालय का विघटन	15
49	विघटन के दौरान विश्वविद्यालय की व्यय	15-16
50	राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना	16
51	नीति विषयक मामलों में राज्य सरकार का निर्देश देने का अधिकार	17
52	विघटन/मान्यता रद्द होने पर सम्पत्तियाँ/उत्तरदायित्व की स्थिति	17

**THE RAS BIHARI BOSE SUBHARTI UNIVERSITY ACT, 2016**  
(Uttarakhand Act no. 35 Year 2016)

**INDEX**

<b>Section</b>	<b>Details</b>	
1	Short title, and commencement	18
2	Definitions	18-20
3	Establishment of University	20
4	Conditions for establishment of University	20-21
5	Starting of the University	21
6	Objects of the University	21
7	Powers of University	21-23
8	Admission and Standards	23-24
9	University open to all classes and creeds	24
10	Reservation	24
11	Officers of the University	24
12	The Visitor	24-25
13	The Chancellor	25
14	The Vice-Chancellor	25-26
15	The Pro- Vice-Chancellor	26-27
16	Principals	27
17	The Registrar	27
18	Dean of Faculties	27
19	Finance Officer	27
20	Other Officers	27
21	Authorities of the University	27-28
22	The Court	28
23	The Executive Council	28
24	The Academic Council	28
25	The Finance Committee	29
26	The Planning Board	29
27	Board of Faculty and other authorities of the University	29



28	Power to make Statutes	29-31
29	Power to make Acts	31-33
30	Annual Report	33
31	Annual Accounts	33
32	Conditions of Service of employees	33-34
33	Right to Appeal	34
34	Employee's provident fund and welfare schemes	34
35	Disputes as to the constitution of Authorities and bodies	34
36	Constitution of Committees	35
37	Filling of the vacancies	35
38	Invalidity of Proceedings	35
39	Mode of Proof of University records	35
40	Publication of Statues, and Act	35
41	Permanent Endowment fund	35-36
42	General Fund	36
43	Development Fund	36
44	Maintenance of Fund	36-37
45	Financial Condition	37
46	Fees	37
47	Power of the State Government to call for information and records	37
48	Dissolution of University	37
49	Expenditure of the University during dissolution	37-38
50	De-recognition of University	38-39
51	Power of the State Government on policy matters	39
52	Status of assets/liabilities on dissolution /de-recognition	39

